न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 79/2022 प्रार्थना पत्र
GCMS No. - 2022/236

1. श्री भंवरलाल पिता किशना जाति कुम्हार वयस्क निवासी अहमदनगर तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्यारा पिता गोकल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी रठांजना तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा राज0।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री अनुराग ओझा – अधिवक्ता प्रार्थी
2– पैरोकार सरकार तहसीलदार – विपक्षी नं0 2

:: निर्णय ::

दिनांक :–13.02.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विपक्षी क्रमांक 1 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा अहमदनगर पटवार हल्का डला उर्फ किशनपुरा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या नया 42 की आराजी नं. 69 मीन रकबा 1.6700 हैक्टेयर स्थित है, जिसके पुराने आराजी नं0 71/47/13 था। साक्ष्य में नवीन जमाबन्दी व नामान्तरण संख्या 152 व मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति पेश है।

2. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि नामान्तरण संख्या 152 में प्रार्थी का नाम भंवरलाल पिता किशना कुम्हार सा.देह दर्ज था जबकि सेटलमेंन्ट के बाद भू –प्रबंधक कार्मिकों कि त्रुटी से प्रार्थी के नाम के आगे सा0 देह शब्द विपक्षी क्रमांक 2 ने बिना किसी [illegible] हटा [illegible] पर प्रार्थी द्वारा कई मर्तबा विपक्षी क्रमांक 2 व उसके अधीनस्थ प्रति[illegible]या [illegible] मौखिक रूप से निवेदन किया जिसका उन्होंने प्रतिउत्तर आज दिनांक तक [illegible] दिया है एवं ना ही अपने द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा[illegible]कर प्रार्थी का नाम भंवरलाल पिता किशना कुम्हार के आगे सा0देह और [illegible]रण संख्या 152 के अनुरूप जोड़े जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:53:37 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया, विपक्षी संख्या 1 बावजूद तामिल अनुपस्थित इसलिए विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

निम्बाहेड़ा उपस्थित जिन्होंने अपने पत्र क्रमाक/राजस्व/2022/1390 दिनांक 25.07.2022 के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थी श्री भंवरलाल पिता किशना कुम्हार निवासी अहमदनगर द्वारा ग्राम अहमद नगर के हाल आराजी नं0 69 मीन रकबा 1.67 हैक्टेयर साबिक आराजीं नं0 71/47/13 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 1/4 हिस्सा क्रय किया जिसका नामान्तरकरण संख्या 152 दर्ज होकर प्रार्थी का नाम दर्ज हुआ। प्रार्थी अहमदनगर का निवासी है तथा नामान्तरकरण में भी प्रार्थी का निवास सा0देह दर्ज हुआ वक्त नामान्तरकरण अमल एवं रोटेशन वर्ष 2054–57 में खाता संख्या 22 में सहवन से प्रार्थी का निवास सा.देह के बजाय सा0 रठांजना दर्ज हो गया जो लगाातार वर्तमान रोटेशन वर्ष 2077 से 2080 के खाता संख्या 42 में चला आ रहा है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एव ना.सं. 152 में प्रार्थी का निवास सा0देह दर्ज था, सहवन से रोटेशन लेखन में खातेदार का निवास सा. रठांजना दर्ज हो गया जो वर्तमान तक जारी है। इस प्रकार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं नामान्तरकरण संख्या 152 ग्राम अहमदनगर के आधार पर प्रार्थी भंवरलाल पिता किशना कुम्हार सा0 रठांजना के बजाय भंवरलाल पिता किशना कुम्हार सा.देह किये जाने की अनुशंषा की है।

4. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्यों में ग्राम अहमदनगर की नामान्तरकरण संख्या 152 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी संवत् 2054–57 की खाता संख्या 22 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी संवत् 2077–80 की खाता 42 की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति, विक्रय–पत्र एवं आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रस्ततु की है।

5. दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट एवं बहस में प्रकट तथ्यों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थी श्री भंवरलाल पिता किशना कुम्हार निवासी अहमदनगर द्वारा ग्राम अहमदनगर के हाल आराजी नं0 69 मीन रकबा 1.67 हैक्टेयर साबिक आराजीं नं0 71/47/13 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 1/4 हिस्सा क्रय किया जिसका नामान्तरकरण संख्या 152 दर्ज होकर प्रार्थी का नाम दर्ज हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड की फोटोप्रति अनुसार प्रार्थी का निवास अहमदनगर अंकित है तथा नामान्तरकरण में भी प्रार्थी का निवास सा0देह दर्ज हुआ वक्त नामान्तरकरण अमल एवं रोटेशन वर्ष 2054–57 में खाता संख्या 22 में सहवन से प्रार्थी का निवास सा.देह के बजाय सा0 रठांजना दर्ज हो गया जो लगाातार वर्तमान रोटेशन वर्ष 2077 से 2080 के खाता संख्या 42 में चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र एवं प्रार्थी के स्वयं का आधार कार्ड में प्रार्थी का निवास अहमदनगर अंकित है। ग्राम अहमदनगर की नामान्तरकरण संख्या 152 में भी प्रार्थी का निवास सा.देह है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी भंवरलाल पिता किशना कुम्हार सा0 रठांजना के बजाय भंवरलाल पिता किशना कुम्हार सा0 देह किये जाने की अनुशंषा की है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त रिपोर्ट से हम सहमत है। इसलिए ग्राम अहमदनगर पटवार हल्का डला उर्फ किशनपुरा की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2077–80 की खाता संख्या 42 में प्रार्थी खातेदार भंवरलाल पुत्र किशना कुम्हार के आगे सा0 रठांजना के बजाय सा0 देह किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:53:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

आदेश

6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम अहमदनगर पटवार हल्का डला उर्फ किशनपुरा की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2077–80 की खाता संख्या 42 में प्रार्थी खातेदार भंवरलाल पुत्र किशना कुम्हार का निवास स्थान सा0 रठांजना के बजाय सा0 देह दर्ज किया जावे। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।

7. निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:53:37 IST
Reason: SelfAttested